



रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/99

REGD. No. D.L -33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III- खण्ड 4
PART III- Section-4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2] नई दिल्ली , शुक्रवार, 07 जनवरी, 2011/ पौष 17, 1932
No.-2] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 7, 2011/ PAUSA 17, 1932

भारतीय रिज़र्व बैंक
अधिसूचना
मुंबई, दिनांक 23 नवंबर, 2010

डीपीएसएस.केंका.एडी.सं. 1145/02.27.004/2010-11

भारतीय रिज़र्व बैंक को भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का 51), इसके पश्चात इसे पीएसएस अधिनियम कहा जाएगा, की धारा 4 (1)(घ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतदद्वारा यह अधिसूचित करता है कि अनिवासी एक्सचेंज हाउस जिनकी विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 , इसके पश्चात फेमा के रूप में जाना जाएगा, के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विधिवत अनुमोदित भारत में सीमापारीय आवक धनप्रेषणों के लिए एडी श्रेणी -I के बैंकों के साथ रुपयों के आहरण की व्यवस्था है, उन्हें भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकार प्राप्त करने की अपेक्षा से छूट प्राप्त होगी। तथापि, ऐसे एक्सचेंज हाउसों को भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत सीमापारीय आवक धनप्रेषणों के परिचालन के लिए प्राधिकृत मान लिया जाएगा और ये पीएसएस अधिनियम और फेमा और इनके अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले विनियमों का अनुपालन करेंगे।

जी.पद्मनाभन, मुख्य महाप्रबंधक
(विज्ञापन III/4/38/10/ ईएक्सटीवाई.)